मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ सी 3-35 /84/3/1 भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 84

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- नियत वेतन पर और टाइपिंग परीक्षा पास नियुक्त नि0श्रे0लिपिकों को मुद्रलेखन परीक्षा से छूट ।

सन्दर्भ :-इस विभाग का दिनांक 29 जनवरी, 1983 का ज्ञापन क्रमांक एफ सी3-1/83/3/1

इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुये राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि :-

1- ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जो शासकीय सेवा में संविलियत किये गये है या सीधी भरती से नियुक्त किये गये है और जिनकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होगई है या भविष्य में हो जाय, उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जाय और उनकी नियुक्ति नियमित की जाय ।

2- संविलियत तथा अन्य तदर्थ नि0श्रे0लिपिकों की नियमित संवर्ग में वरिष्ठता, छूट के दिनांक से गिनी जावेगी । जो कर्मचारी एक ही दिनांक को छूट प्राप्त करते है उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी नियुक्ति के दिनांक से गिनी जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

के.एन. श्रीवास्तव

(के0एन0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

184

पृ०क्रमांक एफ०सी० 3- 35/84/3/1 भोपाल, दिनांक 15-11-84

प्रतिलिपि :-

1- निबंधक, उच्च-न्यायालय, म०प्र० जबलपुर।
सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर।
सचिव, लोकायुक्त, म०प्र० भोपाल।
सचिव, कनिष्ट सेवा चयन मंडल, म०प्र० भोपाल।

2- राज्यपाल के सचिव,।
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म०प्र० भोपाल।

3- अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी संघ/म०प्र० तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ/लघु वेतन कर्मचारी संघ।

4- मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उपमंत्री गण।

5- सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव (समस्त) सा०प्र०वि०।

6- अवर सचिव स्थापना/अधीक्षण/अभिलेखागार, म०प्र० सचिवालय
मुख्य लेखाधिकारी, म०प्र० सचिवालय, भोपाल।

(आर०सी० श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग।

एम०सिंह/13।1।84